"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 28, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2005 (अग्रहायण 28, 1927)

क्रमांक-14137/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 19 सन् 2005), जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 19 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम (क्र. 13 सन् 1934) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 11 (ग) का संशोधन. 2. (1) मूल अधिनियम की धारा 11 (ग) की उपधारा (1) में,

शब्द और अंक "50 रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "1000 रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये,

(2) मूल अधिनियम की धारा 11 (ग) की उपधारा (2) में,

शब्द "एक वर्ष या दो" के स्थान पर शब्द "पांच" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा पंजीयन शुल्क एवं प्रमाण-पत्र की कालावधि में वृद्धि किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 (क्र. 13 सन् 1934) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 14 दिसम्बर, 2005

बृजमोहन अग्रवाल
राजस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम 1934 की धारा 11 (ग) की उपधारा (1) एवं (2) में पंजीयन शुल्क एवं पंजीयन की अवधि के संबंध सुसंगत उद्धरण.

* *

11 (ग) की उपधारा (1) में :—साहूकारी अधिनियम 1934 की धारा 11(ग) की उपधारा (1) में पंजीयन शुल्क प्रतिवर्ष 50 पचास रुपये हैं.

11 (ग) की उपधारा (2) में :—साहूकारी पंजीयन ''एक या दो वर्षों'' के लिए दी जावेगी.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.